(168)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक 1262–तीन/2009 निग. विरूद्व आदेश दिनांक 9–9–2009 पारित व्दारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण कमांक 439/08–09 निगरानी

ग्याचरण पुत्र आनन्दी प्रसाद बाजपेयी
ग्राम रतहरा तहसील हुजूर जिला रीवा ——आवेदक

विरूद्व

श्रीमती चन्द्रवती पत्नि महेन्द्रकुमार पटैल
निवासी ग्राम बांसधाट घोंघर तहसील हुजूर
जिला रीवा मध्य प्रदेश ——अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस.के.श्रीवास्तव)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)

आ दे श

(आज दिनांक 17–8–2017 को पारित)

अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 439/08–09 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 9–9–2009 के विरूद्व म.प्र. भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने तहसीलदार हुजूर के समक्ष म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 109, 110 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विकय पत्र के आधार पर कय किये गये भूखंड पर नामान्तरण की मांग की। तहसीलदार हुजूर ने प्रकरण कमांक 425 अ–6/2007–08 पॅजीबद्व किया तथा पक्षकारों की सुनवाई प्रारंभ की। सुनवाई के दौरान आवेदक ने म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 32 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर आपत्ति की। आपत्ति आवेदन पर अनावेदक ने उत्तर प्रस्तुत किया। तहसीलदार हुजूर ने अंतरिम आदेश दिनांक 5–3–09 से आपत्ति निरस्त कर दी । इस आदेश के विरूद्व आवेदक ने अपर कलेक्टर रीवा के

समक्ष निगरानी प्रस्तुत की। अपर कलेक्टर रीवा ने प्र0क0 208 अ—6/08—09 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 13—7—09 से निगरानी निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त रीवा संभाग ने प्रकरण कमांक 439/08—09 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 9—9—2009 से निगरानी निरस्त कर दी। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि तहसीलदार हुजूर के समक्ष आवेदक ने म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 32 के अंतर्गत आपत्ति आवेदन प्रस्तुत कर आवेदन के पैरा—2 एंव 3 में इस प्रकार अंकन किया है :—

(2) यह कि आवेदक ने कुछ आराजी आवेदिका को विकी किया था।

(3) यह कि आवेदिका ने कयशुदा आराजी का नामान्तरण हेतु आवेदन पूर्व प्रस्तुत किया था उस प्रकरण में अनावेदक ने उपस्थित होकर अपना जवाव प्रस्तुत किया था उसके वाद वह प्रकरण में उपस्थित नहीं हुआ जिस कारण प्रकरण के निर्णय की जानकारी अनावेदक को नहीं है।

तहसीलदार के समक्ष मामला कमांक 425 अ—6/2007—08 नामान्तरण का है जो पॅजीकृत विकय पत्र पर आधारित है एंव आवेदक स्वयं स्वीकार कर रहा है कि उसके व्दारा भूमि विकय की गई है किन्तु विकय पत्र के आधार पर नामान्तरण न होने पावे, तहसीलदार के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत की गई है। विचार योग्य है कि क्या अनावेदक व्दारा प्रस्तुत आपत्ति पर पॅजीकृत विकय पत्र के आधार पर की जा रही नामान्तरण कार्यवाही रोकी जावेगी ? जब तक सक्षम न्यायालय से विकय पत्र शून्य घोषित नहीं कराया जाता, तहसीलदार

व्दारा नामान्तरण कार्यवाही पर सुनवाई की जावेगी। आवेदक व्दारा संहिता की धारा 32 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई आपत्ति को तहसीलदार ने आदेश दिनांक 5—3—09 से निरस्त करने में त्रृटि नहीं की है जिसके कारण अपर कलेक्टर रीवा का आदेश दिनांक 13—7—09 एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 439/08—09 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 9—9—2009 हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 439/08—09 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 9—9—2009 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस.एस.अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर